

राजस्थान सरकार  
कॉलेज-शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4 (40) आकाशि/अनु0/07/I/1652

दिनांक:- 6/11/09

### विज्ञप्ति

इस विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 4 (42) लेखा/आकाशि/अनु0/09-10/1579 दिनांक 19.05.09 के क्रम में निजी क्षेत्र में सत्र 2010-11 में नवीन महाविद्यालय/नवीन विषय/अभिवृद्धि/स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ओवदन पत्र आमंत्रित करने की विशेष विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 31.10.09 से बढ़ाकर 30.11.09 की जाती हैं। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र एवं विस्तृत जानकारी हेतु इस विभाग की वेब साईट [www.collegeeducation.rajasthan.gov.in](http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं।

भवदीय,  


(एस0 सी0 तापड़ियों)  
आयुक्त।